संख्या-135/2026/I/1501878/2026/71-1002(002)/22/2026

प्रेषक,

हरीश कुमार,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 23 अक्टूबर, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में निर्माणाधीन 03 कार्यो हेतु टेण्डर कास्ट के अनुसार पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/निर्माण/2026-27/362, दिनांक 06.10.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में 03 निर्माण कार्यों हेतु टेण्डर कास्ट के अनुसार पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में निम्नानुसार 03 कार्यो हेतु तकनीकी समिति द्वारा स्वीकृत लागत एवं अबतक अवमुक्त धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना का विवरण	कार्यदायी संस्था	शासनादेश संख्या/दिनांक	स्वीकृत लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा में ब्रेकीथैरैपी मशीन की स्थापना के लिए बंकर बनाये का निर्माण कार्य	यू0पी0सिडको	संख्या-60/2026/I/1277097/ 2026/71-1002(002)/22/2026, दिनांक 24.03.2026	158.77	158.77
2	मेडिकल कालेज, आगरा में केन्द्रीय पुस्तकालय के जीर्णोद्धार का कार्य	यू0पी0सिडको	संख्या-60/2026/I/1277097/ 2026/71-1002(002)/22/2026, दिनांक 24.03.2026	400.17	400.17
3	मेडिकल कालेज, आगरा में छात्र-छात्राओं तथा	यू0पी0सिडको	संख्या-16/2026/I/1220759/2026/ 71-1002(002)/5/2026, दिनांक 30.01.2026	133.36	133.36

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	संस्थान की सुरक्षा के दृष्टिगत संस्थान में सोलर लाइट मय पोल स्थापना का कार्य।				

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में निम्नानुसार 03 कार्यो हेतु अनुमोदित लागत (कालम-4 के अनुसार) को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 में विहित व्यवस्था के अनुक्रम में टेण्डर लागत (कालम-6 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है-

(रू0 लाख में)

क्र0	परियोजना का विवरण	कार्यदायी संस्था	शासनादेश संख्या/दिनांक	स्वीकृत लागत	टेण्डर लागत, जिसकी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की जानी है।
1	2	3	4	5	6
1	एस०एन० मेडिकल कालेज, आगरा में ब्रेकीथैरैपी मशीन की स्थापना के लिए बंकर बनाये का निर्माण कार्य	यू0पी0सिडको	संख्या-60/2026/I/1277097/2026/71-1002(002)/22/2026, दिनांक 24.03.2026	158.77	158.39
2	मेडिकल कालेज, आगरा में केन्द्रीय पुस्तकालय के जीर्णोद्धार का कार्य	यू0पी0सिडको	संख्या-60/2026/I/1277097/2026/71-1002(002)/22/2026, दिनांक 24.03.2026	400.17	399.16
3	मेडिकल कालेज, आगरा में छात्र-छात्राओं तथा संस्थान की सुरक्षा के दृष्टिगत	यू0पी0सिडको	संख्या-16/2026/I/1220759/2026/71-1002(002)/5/2026, दिनांक 30.01.2026	133.36	113.14

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	संस्थान में सोलर लाइट मय पोल स्थापना का कार्य।				

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. प्रश्नगत परियोजना की लागत पुनरीक्षित होने पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 सपठित शासनादेश संख्या-5/2026/ए-2-आई/1365672/2026, दिनांक 18.06.2026 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में विहित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
2. प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे, जिससे कास्ट ओवर रन एवं टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
3. यदि प्रश्नगत परियोजना में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा/कार्यदायी संस्था स्वंय उत्तरदायी होंगे।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हो रही बचत की धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित कर लेंगे।
5. प्रश्नगत कार्यो हेतु मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेशों उल्लिखित शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

हरीश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasa

6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

हरीश कुमार

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।